जनपद चित्रकूट की देवांगना हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से आच्छादित वन भूमि 63.269 हे0 के डायवर्जन के सम्बन्ध में सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1. श्री शिवाकान्त द्विवेदी, जिलाधिकारी, चित्रकूट।
2. श्री सूर्य पाल गंगवार, विशेष सचिव/निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग।
3. श्री आशीष तिवारी, विशेष सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री रवि रंजन जगुवार, नोडल अधिकारी, वन विभाग, उ0प्र0।
5. श्री भारत प्रसाद, अनु सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0।
6. श्री धनन्जय दुबे, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक, राईट्स लि0।
7. श्री रामेश्वर खुर्जाकर, परियोजना प्रबन्धक, राईट्स लि0।

बैठक आरम्भ करते हुए नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से चित्रकूट हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की परियोजना के बारे में यह अवगत कराया गया कि हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु चिन्हित कुल भूमि में से 63.269 हे0 भूमि वन विभाग की है जो रिजर्व फारेस्ट है। इस भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वर्ष 2014 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी और इन शर्तो का अनुपालन कराते हुए आख्या मंत्रालय को प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त 63.269 हे0 वन भूमि के समतुल्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से औपचारिक स्वीकृति अद्यतन प्राप्त नहीं हुई, जिससे परियोजना के निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मंत्रालय द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि 63.269 हे0 वन भूमि के बदले दी गयी समतुल्य भूमि रिजर्व फारेस्ट की है।

2. बैठक में जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि 63.269 हे0 वन भूमि के समतुल्य दी गयी भूमि पूर्व में राजस्व अभिलेख में ग्राम समाज के नाम दर्ज थी, जिसे वर्तमान में वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है, अब यह भूमि राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम दर्ज हो गयी है।

3. नोडल अधिकारी, वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट अधिकारी, चित्रकूट के द्वारा भी यह पुष्टि की गयी है कि नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा दी गयी भूमि फारेस्ट लैण्ड नहीं है जबकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गूगल मैप के माध्यम से किये गये टोपोग्राफिक सर्वे/शीट में उक्त भूमि वन भूमि दिख रही है, इसलिए मंत्रालय द्वारा इस भूमि को राज्य अभिलेखों से सत्यापित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 63.269 हे0 वन भूमि पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से औपचारिक स्वीकृति के बाद ही कोई भी निर्माण कार्य कराया जा सकता है। इस कारण कार्यदायी संस्था द्वारा जो भी कार्य वन भूमि पर अब तक कराये गये है उनके दण्डस्वरूप 10 गुना वृक्षारोपण कराना होगा, जिस पर होने वाले व्यय का आंकलन बाद में कराकर सूचित किया जाएगा।

4. नोडल अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि को राज्य अभिलेखों से सत्यापित किये जाने हेतु जनवरी, 2018 के प्रथम सप्ताह में मौके पर निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यह अपेक्षा की गयी कि वन विभाग, उ0प्र0 द्वारा भारत सरकार के अधिकारियों को मौके पर स्थलीय निरीक्षण कराकर समस्या का पूर्ण समाधान करा लिया जाए। जिलाधिकारी, चित्रकूट से भी यह अपेक्षा की गयी कि स्थलीय निरीक्षण के समय वन विभाग से समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान कराने में सहयोग करें, ताकि परियोजना का क्रियान्वयन त्वरित गति से कराया जा सके।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या-109/2017/2250/छप्पन-2017-2/2013
लखनऊ : दिनांक : 28 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
2. विशेष सचिव, (श्री आशीष तिवारी), वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. नोडल अधिकारी, वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. समूह महाप्रबन्धक, राइट्स लि0 (एयरपोर्ट्स डिवीजन), गुडगांव, हरियाणा।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।